संख्या-63/2022/1179जेएल/22-3-2022-800(121)/2011

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
अमरोहा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 19-09-2022*

विषय- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दिवाकर सिंह पुत्र श्री तेजपाल, निवासी-ग्राम-लम्बिया, पोस्ट-सरकड़ा कमाल, थाना-रजबपुर, जनपद-अमरोहा को पुत्र के उपचार हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1765/न्याय सहायक/2022, दिनांक 13-09-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दिवाकर सिंह पुत्र श्री तेजपाल, निवासी-जनपद-अमरोहा को शासनादेश संख्या-37/2022/824जेएल/22-3-2022-800(121)/2011, दिनांक 12-07-2022 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-63/2022/1179जेएल(1)/22-3-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, राज्यमंत्री (स्व0प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, अमरोहा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।